दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

जुलाई 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- राजनांदगाँव ज़िला महिला सशक्तीकरण की दिशा में देश के अग्रणी जिलों में शुमार 3
- धान की रिकॉर्ड खरीदी के बाद चावल जमा करने में छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान 3
- 'तुंहर पौधा तुंहर द्वार' कार्यक्रम का शुभारंभ' 4
- फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य 5
- मुख्यमंत्री ने किया 'झुमका आईलैंड' का लोकार्पण 5
- जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट 6
- 'एस्पायरिंग लीडर' के रूप में छत्तीसगढ़ को किया गया सम्मानित 6
- कोविड मुक्त गाँव परियोजना का शुभारंभ 7
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टूरिस्ट मैप का विमोचन किया 7
- छत्तीसगढ़ शासन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के बीच हुआ एमओयू 8
- मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत 8
- छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय और मितान योजना को मिली प्रशंसा 9
- छह सिंचाई योजनाओं के लिये 15.94 करोड़ रुपए स्वीकृत 9
- 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में छत्तीसगढ़ उन्नीसवें स्थान पर 10
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के अहम निर्णय 10
- 'गोधन न्याय योजना' और 'राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना' के हितग्राहियों को राशि वितरण' 12
- बी-स्पोक पॉलिसी के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज अनुमोदित 12
- अब छत्तीसगढ़ में घर-बैठे करा सकेंगे हाइपोथीकेशन टर्मिनेशन 13
- रोका-छेका अभियान 14
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 14
- राज्य के सीमावर्ती गोठानों की गतिविधियों पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन 16
- सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा, निजी स्कूलों की तरह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 16
- छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर में 10 दिवसीय रोबोटिक्स वर्कशॉप की शुरुआत 17
- मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय 17
- नवीन मछलीपालन नीति को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी 18
- छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादकता में दो गुना से अधिक की वृद्धि 19
- छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा एफजीआर पोर्टल 20
- छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों और प्रदेश की कला-संस्कृति व साहित्य को सँजोने हेतु एन.आर.आई. सेल का गठन 20
- मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का किया लोकार्पण 21
- समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी 21
- राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण एवं जलवायु जागरूकता व संरक्षण हेतु टास्क फोर्स का गठन 22
- छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ एफजीआर पोर्टल 22
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पर 23
- हसदेव अरण्य में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने हेतु विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित 23
- छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास 24
- पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये छत्तीसगढ़ को मिले 3 पुरस्कार 24
- मुख्यमंत्री ने एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन, पशुचालित कल्टीवेटर और प्लांटर किया लॉन्च 25
- गोमूत्र खरीद योजना 26
- मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ 26
- मुख्यमंत्री ने एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन, पशुचालित कल्टीवेटर और प्लांटर किया लॉन्च 27
- गोमूत्र खरीद योजना 28
- मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ 29

नोट :

छत्तीसगढ़

राजनांदगाँव ज़िला महिला सशक्तीकरण की दिशा में देश के अग्रणी जिलों में शुमार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ज़िला राजनांदगाँव को महिला सशक्तीकरण और उनके हित की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिये अग्रणी जिलों में शुमार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- जिले में किये गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव' थीम पर राँची में आयोजित जोनल मीटिंग में शामिल होने के लिये कलेक्टर को आमंत्रित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि ज़िला कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के नेतृत्व में राजनांदगाँव जिले में गोठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिये गोठान में उन्हें कार्य कर आत्मनिर्भर करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- समूह से जुड़ी महिलाएँ स्थानीय स्तर पर पापड़, बड़ी, अचार, मसाला जैसे विभिन्न उत्पाद बना रही हैं, जिनकी स्कूलों, आँगनबाड़ी केंद्रों एवं छात्रावास में आपूर्ति की जा रही है।
- समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उन्हें ऋण प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें रोजगार मिला है। सी-मार्ट एवं गोठान परिसर के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री कर सशक्त बनाया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन में दुकान का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा है।
- जिले में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा एनीमिक किशोरी बालिका, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये निरंतर कार्य किया जा रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के लिये घर-घर जाकर जागरूक किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरी बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। नवविवाहितों को उनके आने वाले जीवन व मातृत्व से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है, साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये विभिन्न योजनाओं के बारे में स्वसहायता समूहों की कार्य प्रणाली से अवगत कराया जा रहा है।
- 'प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना' के अंतर्गत जिले में 125 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर उपलब्धि हासिल की गई है। 'मुख्यमंत्री सुपोषण योजना' एवं 'महतारी जतन योजना' के अंतर्गत पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- पोषण मेला, पौष्टिक व्यंजनों से संबंधित प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन एवं पौष्टिक आहार की जानकारी दी जा रही है।
- 15 से 49 वर्ष आयु की किशोरी बालिका एवं महिलाओं में एनीमिया दूर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर एनीमिया जाँच तथा एनीमिक पाए जाने पर आवश्यक दवाइयाँ (आयरन, फोलिक एसिड) उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में नशाबंदी के लिये पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए 'निजात अभियान' के तहत समूह की महिलाएँ जागरूक होकर कार्य कर रही हैं।

धान की रिकॉर्ड खरीदी के बाद चावल जमा करने में छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में एक नया कीर्तिमान रचते हुए जून माह के अंत तक 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करा दिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं दूरदर्शी निर्णयों के फलस्वरूप खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य में सर्वाधिक धान उपार्जन का कीर्तिमान रचने के बाद समितियों से धान का उठाव और केंद्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने एक नया कीर्तिमान रचा है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 97.99 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी के साथ ही राज्य में पहली बार माह अप्रैल-मई में ही उपार्जन केंद्रों से शत-प्रतिशत धान का उठाव पूरा कर लिया गया। इसके अलावा संग्रहण केंद्रों में भंडारित लगभग 22.90 लाख मीट्रिक टन धान का भी शत-प्रतिशत उठाव वर्षा पूर्व माह जून में ही कर लिया गया है।
- गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपार्जित 97.99 लाख मीट्रिक टन धान में से 75.03 लाख मीट्रिक टन धान (लगभग 77 प्रतिशत) का उपार्जन केंद्रों से सीधे उठाव मिलरों द्वारा किया गया, जबकि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में उपार्जित धान का 58 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान का 61 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का 62 प्रतिशत मात्रा का उपार्जन केंद्रों से मिलरों द्वारा सीधे उठाव किया गया था।
- खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपार्जन केंद्रों से सीधे मिलरों द्वारा धान का रिकॉर्ड उठाव करने के कारण परिवहन व्यय, सूखत की मात्रा एवं धान की सुरक्षा एवं रखरखाव के व्यय में भी बीते वर्षों की तुलना में कमी आई है।
- राज्य सरकार द्वारा धान उठाव व कस्टम मिलिंग हेतु निर्धारित व्यवस्था व व्यवहारिक नीतियों के फलस्वरूप न केवल धान का समय पर उठाव सुनिश्चित हुआ, अपितु कस्टम मिलिंग तेजी से हुई, जिसके कारण राज्य ने चावल जमा करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
- अब तक भारतीय खाद्य निगम में लगभग 25.74 लाख मीट्रिक टन एवं नागरिक आपूर्ति निगम में लगभग 24.35 लाख मीट्रिक टन इस प्रकार कुल 50.09 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में जून माह के अंत तक 36.56 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया गया था। इस वर्ष जमा कराए गए चावल की मात्रा बीते वर्ष की तुलना में लगभग 13.44 लाख मीट्रिक टन अधिक है। भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा का कार्य निरंतर रूप से जारी है।

'तुंहर पौधा तुंहर द्वार' कार्यक्रम का शुभारंभ'

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरे दो हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर 'तुंहर पौधा तुंहर द्वार' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ वातावरण तथा वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना है।
- वन विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुए 'पौधा तुंहर द्वार' योजना के तहत घर तक नि:शुल्क पौधा पहुँचाकर दिया जा रहा है। 'पौधा तुंहर द्वार' योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र रायपुर में 1 से 5 पौधा प्रदाय किया जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये वन विभाग की समस्त 257 नर्सरियों में 3 करोड़ 12 लाख से अधिक पौधे वर्तमान में उपलब्ध हैं।
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 'तुंहर पौधा तुंहर द्वार' कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी वन मंडलों में चालू वर्ष के दौरान पौध वितरण का शुभारंभ किया गया।
- इस तारतम्य में वन मंडल बस्तर अंतर्गत उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा, वन मंडल रायगढ़ अंतर्गत विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक तथा जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल और दुर्ग में विधायक अरुण बोरा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष शामिनी यादव एवं महापौर दुर्ग धीरज बाकलीवाल द्वारा नि:शुल्क पौध वितरण का शुभारंभ किया गया।
- इसी तरह दंतेवाड़ा वन मंडल अंतर्गत विधायक देवती कर्मा, सुकमा वन मंडल अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और बीजापुर वन मंडल अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम द्वारा नि:शुल्क पौध वितरण का शुभारंभ किया गया।

नोट :

फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में प्रदेशव्यापी 'फसल बीमा जागरूकता सप्ताह' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- कृषि एवं जल संसाधन मंत्री ने इस अवसर पर 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखकर रवाना किया। ये रथ ग्रामीण अंचल में 15 जुलाई तक भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी और फसल बीमा कराने के लिये प्रेरित करेंगे।
- देश की आजादी की 75वीं वर्षगाँठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फसल बीमा सप्ताह के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से भी प्रचार-प्रसार रथ रवाना किये गए।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित एवं असिंचित, अरहर, मूँग, उड़द, मक्का एवं उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 जुलाई तक करा सकेंगे।
- कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को मदद पहुँचाने, उन्हें उनका हक दिलाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने किसानों को सबसे पहले रबी सीजन 2021-22 की फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किया है।
- खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को उनके द्वारा दी गई प्रीमियम राशि 15 करोड़ 96 लाख रुपए के एवज में 304 करोड़ 38 लाख रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया है।
- खरीफ सीजन 2021 में राज्य के 4 लाख से अधिक किसानों द्वारा दी गई, किसान प्रीमियम राशि 157 करोड़ 65 लाख रुपए के एवज में 758 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसानों को फसल बीमा प्रीमियम की मात्र डेढ़ प्रतिशत राशि अदा करनी होती है, जबकि मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के बीमा प्रीमियम राशि में किसानों को मात्र 5 प्रतिशत अंशदान करना होता है। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने किया 'झुमका आईलैंड' का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया ज़िले के झुमका जलाशय के मध्य नवनिर्मित 'झुमका आईलैंड' का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट और 'आई लव कोरिया' सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन भी किया।
- गौरतलब है कि झुमका जलाशय कोरिया ज़िले के बैकुंठपुर शहर में स्थित है।
- झुमका जलाशय में चारों तरफ पानी से घिरे सुरम्य आईलैंड पहले उजाड़ हालत में था। इसे डेढ़ महीने की मेहनत से आकर्षक रूप दिया गया है और इसे कोरिया ज़िले का एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया गया है।

नोट :

जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जशपुर ज़िला प्रशासन द्वारा ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आगामी 22 से 24 जुलाई, 2022 तक तीनदिवसीय जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्राप्त जानकारी के अनुसार ज़िले के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने एवं अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने हेतु 20 कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का चयन किया जाएगा।
- इन क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स को ज़िले के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, गाँव की सैर, आदिवासी संस्कृति की झलक, शिल्प बनाना और जातीय पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पाक पर्यटन के क्षेत्र में जशपुर ज़िले का संपूर्ण अन्वेषण और इको-टूरिज्म जैसी गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा।
- यह आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, ट्रिप्पी हिल्स, मध्यम और स्थानीय पर्यटन स्व-सहायता समूह द्वारा समर्थित है।

'एस्पायरिंग लीडर' के रूप में छत्तीसगढ़ को किया गया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को केंद्रीय उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग के तीसरे संस्करण के अंतर्गत केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रदेश में स्टार्टअप्स ईकोसिस्टम के विकास हेतु एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत स्टार्टअप इकाइयों को लाभान्वित करने हेतु स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है। राज्य में कुल 748 स्टार्टअप पंजीकृत हैं।
- एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ को प्रदान किये गए प्रशस्ति-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये कई सराहनीय पहल की गई है, जिनमें स्टार्टअप पॉलिसी की स्थापना, स्टार्टअप्स के लिये करों में छूट और अनुदान का प्रावधान तथा इन्क्यूबेटर्स की स्थापना और उनका उन्नयन प्रमुख पहल है। इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिये को-वर्किंग स्पेस, मेंटरशिप, फंडिंग और प्रौद्योगिकी सपोर्ट के प्रावधान किये गए हैं।
- केंद्रीय मंत्री द्वारा स्टार्टअप क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के तीन अधिकारियों- अनुराग पांडेय (विशेष सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग), प्रवीण शुक्ला (अपर संचालक उद्योग) एवं सुमन देवांगन (सहायक संचालक) को सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इकाईयों को छत्तीसगढ़ में स्थापित होने पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है। पैकेज के तहत ब्याज अनुदान अधिकतम 70 प्रतिशत अधिकतम 11 वर्ष के लिये, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अधिकतम 55 प्रतिशत, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति अधिकतम 15 वर्ष तक, विद्युत शुल्क छूट अधिकतम 10 वर्ष तक एवं पात्रता अनुसार औद्योगिक नीति, 2019-24 में उल्लेखित अन्य अनुदान जैसे भू-प्रब्याजी में छूट, स्टांप शुल्क छूट, परियोजना प्रतिवेदन में छूट आदि की सुविधा प्रदान की जाती है।
- स्टार्टअप को तीन वर्षों तक भवन किराए का 40 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 8 हजार रुपए प्रतिमाह प्रतिपूर्ति दी जा रही है और स्टार्टअप इकाईयों द्वारा सेमीनार, वर्कशॉप, संगोष्ठी, प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी, दी जा रही है।

नोट :

- राज्य में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने हेतु इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिये किये जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 50 लाख रुपए एवं संचालन के लिये 3 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दी जा रही है।
- औद्योगिक पुरस्कार योजना पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्टार्टअप श्रेणी में भी पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के रूप में क्रमश: 1,51,000 रुपए, 1,00,000 रुपए एवं 51,000 रुपए की राशि एवं प्रशस्ति-पत्र देने का प्रावधान किया गया है।

कोविड मुक्त गाँव परियोजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की एक निर्बाध, टिकाउ और एकीकृत मजबूती सुनिश्चित करने के लिये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जिला और राज्यस्तरीय अधिकारियों की भागीदारी के साथ एक 'राज्यस्तरीय प्री-लॉन्च' बैठक आयोजित की गई, जिसमें 'टीकाकरण-ऑनह्वील्स' (वेक्सीनेशन ऑन ह्वील्स) वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दूर-दराज के स्थानों में कोविड-19 टीकाकरण, नियति टीकाकरण और अन्य प्राथमिक स्तर की दैनिक सुविधाएँ प्रदान करेगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि चाइल्डफंड इंडिया ने भारत के तीन राज्यों- झारखंड, राजस्थान और छतीसगढ़ में 'कोविड मुक्त गाँव' नामक एक बड़े पैमाने पर परियोजना शुरू करने की घोषणा की।
- समृद्ध के समर्थन के साथ, चाइल्डफंड का उद्देश्य एक स्थाई नेटवर्क देखभाल मॉडल स्थापित करना है, ताकि गुणवत्ता सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ, उपकरण और बच्चों के अनुकूल देखभाल (बाल चिकित्सा सेवाएँ) प्रदान करने के लिये 'कोविड मुक्त गाँव' परियोजना का समर्थन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से, टेलीमेडिसिन सेवाओं, स्वास्थ्य आउटरीच वाहनों और शिविरों के साथ प्रयास को बढ़ाया जाएगा।
- गौरतलब है कि भारत में चाइल्डफंड ( ) देश में वंचित बच्चों की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसका मुख्य कार्यालय बंगलुरू में स्थित है और दिल्ली में प्रोग्राम ऑफिस है, जो चाइल्डफंड इंडिया का पंजीकृत कार्यालय भी है।
- भारत में चाइल्डफंड 15 राज्यों के 85 जिलों में काम करता है। लंबी अवधि की साझेदारी और प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के माध्यम से यह सालाना 3200 समुदायों/गाँवों के लगभग 3 मिलियन बच्चों, युवाओं और उनके परिवारों तक पहुँचता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टूरिस्ट मैप का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सर्किट हाउस में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले के टूरिस्ट सर्किट मैप का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस टूरिस्ट सर्किट मैप में ज़िले के सभी धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को चिह्नित किया गया है, साथ ही गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले के निकटस्थ ज़िलों में आवागमन के लिये रोड मैप को भी दर्शाया गया है।
- जिला प्रशासन के अनुसार इस टूरिस्ट सर्किट मैप के ज़रिये पर्यटकों को ज़िले के अंतर्गत सभी प्रमुख स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। साथ ही, उन्हें स्थलों पर आवागमन के लिये सुविधा होगी।

नोट :

छत्तीसगढ़ शासन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले के सर्किट हाउस में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच एमओयू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू के अनुसार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा सामुदायिक केंद्र या कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा ज़िले के ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह क्षेत्र दुर्लभ औषधीय प्रजाति से समृद्ध है। साथ ही यहाँ के निवासी पेड़-पौधे और दुर्लभ जीव-जंतुओं एवं औषधियों के जानकार है। उनके द्वारा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कार्य करने पर न ही सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि पूरी मानव जाति का कल्याण होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित केंद्र द्वारा डिप्लोमा तथा डिग्री प्रोग्राम संचालित किये जाएंगे, जिसमें नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुकूल एवं गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न रोजगार उन्मुख ई-कौशल पाठ्यक्रम शामिल रहेंगे। साथ ही इस केंद्र के सहयोग से स्व-रोजगार स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को मार्केट लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज की सेवा प्रदान की जाएगी।
- इसका उद्देश्य जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूह की महिलाओं, ग्रामीणों एवं युवाओं को कौशल विकास तथा रोजगारोन्मुखी, व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न विधाओं में पारंगत कर जनजातीय उन्नयन की दिशा में कार्य करना है।
- लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन (एलबीआई) के समेकित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा क्षेत्रीय जनजातियों एवं किसानों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्र के समेकित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जनजातीय समुदायों को व किसानों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- केंद्र द्वारा क्षेत्रीय उत्पाद- कोदो कुटकी, शहद आदि से विभिन्न उत्पाद तैयार कर उनकी ब्रॉन्डिंग भी की जाएगी तथा किसानों को उचित मूल्य प्रदान किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसान की आय में वृद्धि होगी और छत्तीसगढ़ के उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
- इस क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास में पारंगत होने से स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भी अवसर मिलेंगे। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये बड़े शहर जाने से मुक्ति मिलेगी।
- इस एमओयू से इस केंद्र में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शोध करने का अवसर मिलेगा। यह क्षेत्रीय जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से समृद्ध व आत्मनिर्भर करने में सहायक सिद्ध होगा।

मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात दौरे के तहत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले में दो नवाचार कार्यक्रम 'मोर आखर' और 'स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- 'मोर आखर' कार्यक्रम गौरेला और पेंड्रा विकासखंड की 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित किया जाएगा, जो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ने-लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है।
- दूसरा कार्यक्रम 'स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट' के तहत खेल के माध्यम से ज़िले की 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यावहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ-साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवनशैली में सुधार लाया जा सके।

नोट :

- गौरतलब है कि दुनिया के 50 देशों में व्यावहारिक शिक्षा की इस पद्धति का सफल प्रयोग किया जा चुका है।
- कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों में सीखने की क्षमता में कमी आई है। इसे देखते हुए 'मोर आखर' कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जो बच्चों में पढ़ने की क्षमता और पढ़ने की आदत में वृद्धि करने में सहायक होगा।
- इसी तरह 'स्पोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट' गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले के सभी स्कूलों में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शारीरिक व मानसिक विकास करना तथा खेल-खेल में बच्चों की सीख बढ़ाना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा उपयुक्त, उम्र उपयुक्त और बालक-बालिकाओं को खेल में समान अवसर प्रदान किया जाना शामिल है। यह दोनों कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किये जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय और मितान योजना को मिली प्रशंसा

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ की महत्त्वाकांक्षी 'गोधन न्याय योजना' और 'मितान योजना' को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह में सराहना मिली है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि गुजरात के अहमदाबाद स्थित गांधीनगर महात्मा मंदिर में 4 से 9 जुलाई, 2022 तक डिजिटल इंडिया सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ की ओर से कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव एवं छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने राज्य की महत्त्वाकांक्षी मितान योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
- विश्नोई ने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई 'मितान योजना' का मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवा वितरण प्रणाली में सुधार लाते हुए नागरिकों को घर पहुँच सेवा का लाभ प्रदान करना है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना की भी जानकारी प्रदान की गई।
- केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव राजेंद्र कुमार ने राज्य सरकार द्वारा नवाचार का प्रयोग करते हुए संचालित योजनाओं और छत्तीसगढ़ के नवीन पहलुओं की प्रशंसा की है।
- सीएससी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. दिनेश त्यागी ने मितान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह नागरिक सशक्तीकरण के लिये आईटी का वास्तविक उपयोग है। अनेक देशों में इस तरह की पहल होने लगी हैं।

छह सिंचाई योजनाओं के लिये 15.94 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश की छह सिंचाई परियोजनाओं के लिये 15 करोड़ 94 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- सरगुजा जिले के विकासखंड-बतौली की 'सेदम व्यपवर्तन योजना' की नहर में पक्का चैनल निर्माण के लिये 2 करोड़ 11 लाख 78 हजार रुपए स्वीकृत किये गए हैं। योजना के पूरा होने से 202 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
- विकासखंड बतौली के 'सलियाडीह जलाशय' की नहर में मिट्टी कार्य, पक्की संरचनाओं एवं पक्की चैनल निर्माण कार्य के लिये 1 करोड़ 99 लाख 87 हजार रुपए स्वीकृत किये गए हैं। योजना के पूरा होने से 202 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
- जशपुर जिले के विकासखंड-पत्थलगाँव के 'तमता जलाशय योजना' का जीर्णोद्धार कार्य के लिये 5 करोड़ 92 लाख 42 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं। योजना के पूरा होने से 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
- विकासखंड बगीचा की 'कोदोधारा जलाशय योजना' के निर्माण कार्य के लिये 2 करोड़ 24 लाख 62 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं। योजना के पूरा होने से 195 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

नोट :

- कोरिया जिले के खड़गंवा विकासखंड अंतर्गत 'उदनापुर जलाशय योजना' की मुख्य नहर में सी.सी. नाली निर्माण, नहर बेड की सफाई तथा बैंक की ऊँचाई बढ़ाने के कार्य के लिये 2 करोड़ 61 लाख 32 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं। योजना के पूरा होने से 403 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
- इसी प्रकार सूरजपुर जिले के विकासखंड भैयाथान के 'चंदरपुर जलाशय' के जीर्णोद्धार कार्य के लिये 1 करोड़ 4 लाख 19 हजार रुपए स्वीकृत किये गए हैं। योजना के पूरा होने से 214 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में छत्तीसगढ़ उन्नीसवें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को जारी 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' के पहले संस्करण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में उन्नीसवें स्थान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण जारी किया।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में छत्तीसगढ़ 654 स्कोर के साथ उन्नीसवें स्थान पर है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा 788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.710 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेशों में, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव 802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं- i) एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के अहम निर्णय

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 'छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022' के अनुमोदन के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये 'छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022' का अनुमोदन किया गया।

नोट :

- इस नीति से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी, वहीं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी सुनिश्चित होगी।
- इस नीति में कमर्शियल एवं नॉन-कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है।
- इसके तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, मालवाहक, यात्रीवाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएँ मिलेंगी।
- इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्ज़िंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्ज़िंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्ज़िंग पॉइंट उपलब्ध होंगे।

- मंत्रिपरिषद द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए।
- बैठक में बिज़ली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए, इसमें- 'नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी योजना' के तहत स्थापित किये जा रहे, गोठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।
  - प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिज़ली बिल की राशि को आधा किये जाने की योजना को विस्तार करते हुए 'नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी योजना' के तहत स्थापित किये जा रहे गोठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किये गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सकें। इसके लिये पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया।
  - इसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिये अथवा शासन के अधीन सेवा के लिये निर्धारित योग्यता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य की किसी शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और पाँचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है।
  - अन्य मामलों में भी पहली, चौथी, पाँचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एंड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया।
- 'गोधन न्याय योजना' अंतर्गत प्रदेश के गोठानों में जन-भागीदारिता हेतु गोठान प्रबंधन समितियों का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केंद्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजना के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करने एवं गोठान के विकास तथा रख-रखाव के लिये गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान में से 3 प्रतिशत राशि प्रशासकीय मद में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
- गोठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कंपोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि और वार्षिक कंपोस्ट विक्रय पर बोनस राशि प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केंद्रीय पूल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के पश्चात् किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 20वाँ वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि) का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ में मोलासिस (शीरा) के उपयोग को विनियमित करने के लिये छत्तीसगढ़ मोलासिस (शीरा) नियंत्रण एवं विनियमन नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना हेतु उपकर राशि लिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

नोट :

'गोधन न्याय योजना' और 'राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना' के हितग्राहियों को राशि वितरण'

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 'गोधन न्याय योजना' के हितग्राहियों को राशि वितरण और 'राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना' के तहत हितग्राहियों को अनुदान राशि का वितरण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 'गोधन न्याय योजना' के तहत गोबर बेचने वाले पशुपालकों, ग्रामीणों, गोठानों से जुड़े महिला समूहों और गोठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की।
- इस राशि में से 15 जून से 30 जून तक राज्य के गोठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किये गए गोबर की एवज में 69 करोड़ रुपए का भुगतान और गोठान समितियों को 4.31 करोड़ रुपए तथा महिला समूहों को 2.84 करोड़ रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किया गया।
- इसी तरह उन्होंने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत 25 हितग्राहियों को 63 लाख रुपए की अनुदान राशि का भुगतान हितग्राहियों के खाते में किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना की सफलता से प्रदेश में गोठानों की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजना के तहत अब तक 75 लाख 38 हज़ार रुपए क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है तथा गोठानों में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों और पशुपालकों को अब तक गोबर की एवज में 75 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
- गोठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हज़ार रुपए से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.97 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है।
- इस योजना से 1 लाख 33 हज़ार रुपए से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। गोठानों की आजीविका गतिविधियों के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों ने अब तक 72 करोड़ 19 लाख रुपए की आय प्राप्त की है।
- मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को गाँवों के आँगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों को उबालकर दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिये कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये।
- इससे पशुपालकों को दूध का वाजिब मूल्य मिलेगा। ग्रामीण दूधारू पशुपालन के लिये प्रोत्साहित होंगे, गो-माता की सेवा होगी तथा ग्रामीण अंचल में दूध की उपलब्धता बढ़ने से पोषण स्तर बेहतर होगा।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अलग-अलग गाँवों में दूध का अलग-अलग रेट हितग्राहियों को मिल रहा है। आँगनबाड़ी और स्कूलों में दूध वितरण की व्यवस्था से दूध के रेट में एकरूपता आएगी।
- उन्होंने कहा कि गोठानों में डेयरी व्यवसाय कर रहे हितग्राहियों को छह माह बाद एक अतिरिक्त गाय अन्य योजना से दी जाएगी।
- कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश के 3089 गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं। गोठानों में अब तक 16 लाख 43 हज़ार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है, इसमें से 13 लाख 69 हज़ार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का वितरण किसानों और विभिन्न विभागों को किया जा चुका है। 89 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट गोठानों में उपलब्ध है।
- गोठानों में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन रासायनिक खादों की कमी से निपटने में काफी हद तक मदद करेगा। लगभग 2 लाख 94 हज़ार किसानों ने वर्मी कंपोस्ट लिया है।

बी-स्पोक पॉलिसी के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज अनुमोदित

चर्चा में क्यों ?

7 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस्पात (स्पंज आयरन एंड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ में मेगा और अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है।
- गौरतलब है कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में स्टील आधारित इकाईयों की स्थापना के लिये 91 संस्थानों द्वारा पूर्व में राज्य शासन के साथ किये गए एमओयू के तहत स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु बी-स्पोक पॉलिसी के अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ मिलेगा।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार 91 संस्थानों ने स्टील पर आधारित इकाईयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार के साथ पूर्व में एमओयू निष्पादित किये हैं। इन इकाईयों की स्थापना से राज्य में लगभग 49 हज़ार 115 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 57 हज़ार 566 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की संभावना है।
- एक आकलन के मुताबिक इन इकाईयों की स्थापना से राज्य को आगामी 10 वर्षों में लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व में 10 इकाईयों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज निर्धारित किया गया था, जिनका निवेश 4274 करोड़ रुपए एवं रोजगार 5515 संभावित है।

अब छत्तीसगढ़ में घर-बैठे करा सकेंगे हाइपोथीकेशन टर्मिनेशन

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' को और सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब हाइपोथीकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि इसके तहत हाइपोथिकेशन जोड़ने और समाप्ति के संबंध में आरटीओ कार्यालय में कोई भौतिक दस्तावेज़ नहीं लिया जाएगा। प्रदेशवासी अब घर-बैठे हाइपोथीकेशन (एचपी) से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
- लगभग 75 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अपनी हाइपोथीकेशन (एचपी) सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सभी दस्तावेज़ों और एनओसी को सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करना होगा, जिससे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता न पड़े।
- वाहन स्वामी के द्वारा एक बार, जब बैंक में ऋण दे दिया जाएगा या भुगतान कर दिया जाएगा, तो डाटा सीधे बैंक द्वारा वाहन डाटाबेस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा एचपीटी सेवा को सत्यापित और अनुमोदित करने का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वत: हो जाएगा।
- परिवहन विभाग द्वारा संचालित 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' योजना लोगों की सुविधा के लिये एक महत्त्वपूर्ण योजना है। परिवहन विभाग से संबंधित जनसुविधाएँ इतनी सहजता से घर-बैठे मिलने से लोगों को अब बार-बार परिवहन विभाग के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके चलते आवेदकों के समय और धन की बचत होगी।
- इसके तहत केवल एक साल से कम की अवधि में 11 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। इनमें 7 लाख 50 हज़ार 934 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 3 लाख 67 हज़ार 785 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी 22 सेवाएँ उनके घर के द्वार पर पहुँचाकर दी जा रही हैं।
- परिवहन आयुक्त ने बताया कि परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिये राज्यभर में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती 26 जनवरी को घोषणा की थी। इसके परिपालन में लगभग एक हज़ार परिवहन सुविधा केंद्र पूरे राज्य में खोले जा रहे हैं। वहीं परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना से करीब पाँच हज़ार युवाओं के रोज़गार सृजन की संभावना भी बनेगी।
- वाहन चालकों की सुविधा के लिये ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवश्यक ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण-पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके तहत अब तक प्रदेश के 1.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से इस यूजरफ्रेंडली नियम का लाभ उठाया है।

नोट :

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मार्च के अंतिम सप्ताह में परिवहन मंत्री मुहम्मद अकबर ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिये मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया था। कोरोना काल में पेपरलेस मेडिकल प्रमाण की उपलब्धता से आवेदक और चिकित्सक, दोनों को सुविधा हुई है।
- इसी तरह आरटीओ कार्यालय को जीओ फेन्सिंग कर फोटो फिटनेस ऐप के माध्यम से गाड़ियों का फिटनेस जारी करने वाला भी छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इस ऐप के आने से प्रभावी और पारदर्शी फिटनेस कार्यवाही करने में सहायता मिली है।
- इस सुविधा में स्वैच्छिक 'आधार' प्रमाणीकरण से परिवहन सेवाएँ तत्काल प्राप्त होंगी। इस सेवा के शुरू होने पर छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधित सेवाओं को आधार से एकीकृत कर रहा है।

रोका-छेका अभियान

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिये प्रदेशव्यापी 'रोका-छेका अभियान' शुरू किया गया, जो 20 जुलाई तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिये पशुओं को नियमित रूप से गोठान में लाने हेतु रोका-छेका अभियान के अंतर्गत मुनादी कराई जाएगी।
- गोठानों में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच, पशु नस्ल सुधार हेतु बधियाकरण, कृत्रिम गर्भधान एवं टीकाकरण किया जाएगा।
- रोका-छेका राज्य की पुरानी परंपरा है। इसके माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिये नहीं छोड़ने का संकल्प लेते हैं, ताकि फसलों को नुकसान न पहुँचे। पशुओं को अपने घरों, बाड़ों और गोठानों में रखा जाता है तथा उनके चारे-पानी का प्रबंध करना होता है।
- पशुओं का रोका-छेका का काम अब गाँव में गोठानों के बनने से आसान हो गया है। गोठानों में पशुओं की देखभाल और उनके चारे-पानी के प्रबंध का काम गोठान समितियाँ करने लगी हैं।
- राज्य में पशुधन की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से गाँव में गोठान बनाए जा रहे हैं। अब तक 10,624 गोठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8,408 गोठान बनकर तैयार हो गए हैं। गोठानों में आने वाले पशुओं को सूखा चारा के साथ-साथ हरा चारा उपलब्ध कराने के लिये सभी गोठानों में चारागाह का विकास किया जा रहा है। राज्य के 1200 से अधिक गोठानों में हरे चारे का उत्पादन भी पशुओं के लिये किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिये प्रस्तुत छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2022 विधेयक पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक के अनुसार छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (पाँच), मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में, मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1), मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) तथा मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) में संशोधन किया गया है।

नोट :

- विधेयक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2002 के मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (पाँच) को प्रतिस्थापित करके नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का ज़िले का प्रभारी अधिकारी/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक किया गया है।
- अधिनियम के खंड (चार)(क) में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिये वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि अनधिकृत विकास निर्धारित पार्क्रिंग हेतु आरक्षित भूखंड/स्थल पर किया गया हो, तो नियमितीकरण की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आवेदक द्वारा पार्क्रिंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शारित राशि का भुगतान कर दिया गया हो।
- अधिनियम में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2011 के पूर्व अस्तित्व में आए ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिसके लिये संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्क्रिंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्क्रिंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितीकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि-
  - पार्क्रिंग में 25 प्रतिशत कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रुपए,
  - 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रुपए,
  - 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रुपए
- इसी प्रकार 1 जनवरी, 2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आए ऐसे भवनों में पार्क्रिंग हेतु अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितीकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्क्रिंग में 25 प्रतिशत तक कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु 50 हज़ार रुपए, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
- खंड (चार) में कहा गया है कि शमन योग्य पार्क्रिंग की गणना इस प्रकार की जाएगी कि 500 वर्ग मीटर तक आवासीय क्षेत्र में पार्क्रिंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगा, जबकि 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र होने पर पार्क्रिंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगा। गैर-आवासीय क्षेत्र में पार्क्रिंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगा, जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्क्रिंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगा।
- प्रावधान में कहा गया है कि (ग) ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली सामाजिक संस्थाएँ, जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हों, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत की दर से देय होगी।
- छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण, स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित न होने की स्थिति में, नियमितीकरण किया जा सकेगा।
- इसके अलावा मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (3) का लोप किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, शब्द 'अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्त्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नियमित रूप से जमा करेगा' के स्थान पर, शब्द 'अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्त्ता द्वारा अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जो एक वर्ष से अनधिक अवधि की देय होगी, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नियमित रूप से जमा करेगा। यह प्रावधान समस्त लंबित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा' से प्रतिस्थापित किया गया है।
- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के परंतु के स्थान पर, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा 'परंतु अपील के लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्त्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये जमा नियमित रूप से करेगा। यह समस्त लंबित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा।'

नोट :

राज्य के सीमावर्ती गोठानों की गतिविधियों पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राज्य के सीमावर्ती गाँवों में निर्मित गोठान की गतिविधियों पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तिका के संपादक आलोक चंद्राकर हैं।
- इस पुस्तिका में गोठानों में पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये संचालित गतिविधियों के साथ-साथ वहाँ पशुधन के चारे एवं पानी के प्रबंध, महिला स्व-सहायता समूहों की आयमूलक गतिविधियों का समावेश किया गया है।
- गोठान और गोधन न्याय योजना, राज्य से सीमावर्ती गाँवों के ग्रामीणों के जीवन-स्तर में आए बदलाव को भी पुस्तिका में उल्लेखित किया गया है।
- इस पुस्तिका में गोठानों से संबंधित समाचारों की क्लिपिंग भी शामिल की गई हैं।

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा, निजी स्कूलों की तरह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2022 छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने छत्तीसगढ़ में संचालित सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की तरह बहुआयामी प्रगति पत्रक (होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड) दिये जाने के संबंध में सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- बहुआयामी प्रगति पत्रक में सभी विषयों में मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक आकलन में प्रोजेक्ट, प्रायोजन कार्यों के अंकों को जोड़कर ग्रेड दिया जाएगा। कक्षा में स्थान ग्रेड के आधार पर मिलेगा।
- संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिये प्राप्तांकों का प्रतिशत 91 से 100 तक होने पर ग्रेड-ए प्लस, 81 से 90 प्रतिशत तक ग्रेड-ए, 71 से 80 प्रतिशत तक ग्रेड-बी प्लस, 61 से 70 प्रतिशत तक ग्रेड-बी, 51 से 60 प्रतिशत तक ग्रेड-सी प्लस, 41 से 50 प्रतिशत तक ग्रेड-सी, 33 से 40 प्रतिशत तक ग्रेड-डी और 33 प्रतिशत से नीचे ग्रेड-ई दिया जाएगा।
- रिपोर्ट कार्ड में भावनात्मक एवं साइकोमोटर क्षेत्र में गुणात्मक टीप दी जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट को ग्रेड-ए, अच्छा को ग्रेड-बी और संतोषप्रद को ग्रेड-सी मिलेगा।
- भावनात्मक क्षेत्र के स्व-अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण स्वच्छता एवं जागरुकता, सांस्कृतिक, साहित्यिक संप्रेक्षण एवं अभिव्यक्ति, परस्पर सहयोग क्षेत्र में जुलाई से दिसंबर और जनवरी से मार्च तक की अवधि की ग्रेडिंग होगी।
- इसी प्रकार साइकोमोटर क्षेत्र के खेल-कूद, योग एवं प्राणायाम, कला प्रदर्शन और कार्यानुभव क्षेत्र में भी जुलाई से दिसंबर और जनवरी से मार्च की अवधि की ग्रेडिंग की जाएगी। उपस्थिति में शाला लगने वाले दिनों की संख्या, उपस्थिति, शाला की आयोजित बैठकों में पालक की उपस्थिति को रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किया जाएगा।
- बहुआयामी प्रगति पत्रक कक्षा पहली से पाँचवी तक में हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित, पर्यावरण विषय के छह मासिक आकलन 25-25 अंकों के होंगे और त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक आकलन 50-50 अंकों का होगा।
- कक्षा 6वीं से 8वीं तक का बहुआयामी प्रगति पत्रक में हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित, संस्कृत/उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के छह मासिक आकलन भी 25-25 अंकों के होंगे और त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक आकलन 100-100 अंकों का होगा।
- माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9वीं और 10वीं के बहुआयामी प्रगति पत्रक में हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के छह मासिक आकलन भी 25-25 अंकों के होंगे और त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक आकलन 100-100 अंकों का होगा।

नोट :

- इसके साथ ही सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के आकलन का भी उल्लेख किया जाएगा। कक्षा 10वीं के लिये वार्षिक परीक्षा के स्थान पर प्री-बोर्ड टेस्ट के अंक भरे जाएंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं के रिपोर्ट कार्ड में त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की श्रेणी के साथ ही उत्तीर्ण, सुधार की आवश्यकता का उल्लेख किया जाएगा।
- इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं के रिपोर्ट कार्ड में हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत के साथ ही सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के आकलन का उल्लेख किया जाएगा।
- छह मासिक परीक्षा 25-25 अंकों की तथा त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और प्री-बोर्ड/वार्षिक परीक्षा 100-100 अंकों की होगी। कक्षा 12वीं के लिये वार्षिक परीक्षा के स्थान पर प्री-बोर्ड टेस्ट के अंक भरे जाएंगे।
- कक्षा 11वीं और 12वीं के रिपोर्ट कार्ड में त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की श्रेणी के साथ ही उत्तीर्ण, सुधार की आवश्यकता का उल्लेख किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर में 10 दिवसीय रोबोटिक्स वर्कशॉप की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर, रायपुर में 10 दिवसीय रोबोटिक्स वर्कशॉप की शुरुआत की गई। इस वर्कशॉप की थीम 'हैंड्स ऑन एक्टिविटी' है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्कशॉप में रायपुर के शासकीय स्कूलों में विज्ञान संकाय के 50 छात्रों को शामिल किया गया है, जो 10 दिनों तक रोबोटिक्स की बारीकियों और भविष्य में इसकी आवश्यकता तथा उपयोगिता के बारे में जानेंगे।
- छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना नवीन खोजों एवं प्रायोगिक क्रिया-कलापों को स्वयं करने, सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने, नवीनतम वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों का प्रदर्शन करने, विज्ञान के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई है।
- इसी कड़ी में स्कूली छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (A.I.) के प्रति जागरूक करने तथा भविष्य में रोबोटिक्स की महत्ता को देखते हुए 10 दिवसीय रोबोटिक्स वर्कशॉप 'हैंड्स ऑन एक्टिविटी' का आयोजन किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना के बाद ये पहला अवसर है, जब इस तरह का आयोजन यहाँ किया जा रहा है।

मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

14 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछलीपालन नीति लागू करने का अनुमोदन किया गया। नवीन मछलीपालन नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों की वेतन संबंधी विसंगति दूर होगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा।
- स्थानांतरण नीति, 2022 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सुझाव/अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

नोट :

- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का विधानसभा में उप-स्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- वर्ष 2022-23 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गोठान के विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु 'अतिरिक्त आबकारी शुल्क' में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विघटित परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किया गया।
- छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात् मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 (One Time Settlement) की मियाद अवधि 1 अप्रैल, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के कारण एचह्वी-4 श्रेणी के स्टील उद्योग के अंतर्गत स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिये राज्य शासन द्वारा विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक छूट दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक ग सन् 1949) में और संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

नवीन मछलीपालन नीति को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

14 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन मछलीपालन नीति को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- नवीन मछलीपालन का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध संपूर्ण जल क्षेत्र को मत्स्यपालन के अंतर्गत लाते हुए मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन तथा मत्स्यपालन को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोज़गार प्रदान करना है।
- नवीन मछलीपालन नीति में राज्य के मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है। उत्पादकता बोनस की यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ को जलाशयों एवं बैराज की नीलाम से प्राप्त होने वाली राशि की 25 प्रतिशत होगी।
- नवीन मछलीपालन नीति के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-
  - राज्य में अलंकारिक मछलीपालन एवं गंबुसिया मछलीपालन को भी प्रोत्साहित किये जाने का प्रावधान नई नीति में किया गया है।
  - राज्य स्थित अनुपयोगी खदानों को विकसित कर मछलीपालन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।
  - पंचायत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत तालाबों/जलाशयों को मछलीपालन हेतु पट्टे पर देने के अधिकार के तहत 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाब/जलाशय ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किये जाएंगे।
  - 10 से 100 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाबों एवं जलाशयों को जनपद पंचायत द्वारा, 100 से 200 हेक्टेयर तक ज़िला पंचायत द्वारा, 200-1000 हेक्टेयर तक के जलाशय एवं बैराज को मछलीपालन विभाग द्वारा पट्टे पर आवंटित किया जाएगा।
  - 1000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय/बैराज छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ द्वारा खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिये पट्टे पर दिये जाएंगे।

नोट :

- मत्स्य महासंघ द्वारा जलाशय एवं बैराज को पट्टे पर दिये जाने हेतु खुली निविदा से प्राप्त आय की 50 प्रतिशत राशि मछलीपालन विभाग के राजस्व खाते में देय होगी। शेष 50 प्रतिशत का 25 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्तर पर मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में दिया जाएगा।
- नदियों एवं 20 हेक्टेयर से कम जल क्षेत्र वाले एनीकट/डीपपूल में नि:शुल्क मत्स्याखेट की व्यवस्था यथावत रहेगी।
- गोठानों हेतु निर्मित तालाबों में मछलीपालन का कार्य गोठान समिति या उनके द्वारा चिह्नित समूह द्वारा किया जाएगा।
- पंचायतों द्वारा लीज़ राशि में बढ़ोतरी प्रति 2 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारण किया जाएगा, जिसका उपयोग जनहित के विकास कार्यों में किया जाएगा।
- आदिवासी मछुआ सहकारी समिति में गैर-आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33 से घटाकर 30 प्रतिशत करने प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति का अध्यक्ष का पद अनिवार्य रूप से अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित रहेगा। समिति के उपाध्यक्ष पद हेतु मछुआ जाति के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के जलाशयों/तालाबों का आवंटन मछुआ समूह, मत्स्य सहकारी समिति एवं आजीविका मिशन के तहत गठित स्थानीय महिला समूह, मछुआ व्यक्ति व मत्स्य कृषक को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
- मछलीपालन में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर व्यक्ति एवं बेरोज़गार युवा मछुआ व्यक्ति व मत्स्य कृषक माने जाएंगे।
- मछली बीज की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाएगा, जो मत्स्य बीज के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा एवं बीज उत्पादन तकनीक की जानकारी देगा।
- मत्स्य बीज विक्रय करने वालों एवं उत्पादकों को मछलीपालन विभाग में पंजीयन कराना एवं विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
- राज्य में स्थित अनुपयोगी एवं बंद पड़ी खदानों को विकसित कर मछलीपालन हेतु स्थानीय बेरोजगारों को पट्टे पर दिया जाएगा। बड़ी खदानों में मछलीपालन को बढ़ावा देने हेतु केज स्थापना की पहल की जाएगी।
- सिंचाई जलाशयों में केज कल्चर योजना के क्रियान्वयन के लिये मछलीपालन विभाग पूर्णरूप से अधिकृत होगा, इसके लिये सिंचाई जलाशय को दीर्घ अवधि हेतु विभाग लीज़ पर दे सकेगा।

छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादकता में दो गुना से अधिक की वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

17 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिये मछुआरों व मत्स्य कृषकों को दिये जा रहे प्रोत्साहन के चलते राज्य में मत्स्य उत्पादकता में दो गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2000 में राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता 1850 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी। वर्तमान में राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता 4,000 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।
- प्रगतिशील मत्स्य कृषक मछलीपालन की नवीन तकनीकी अपनाकर एवं उन्नत प्रजातियों का पालन कर प्रति हेक्टेयर 8,000-10,000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन करने लगे हैं।
- वर्ष 2000 में राज्य का मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 9वाँ स्थान था। राज्य में मत्स्य बीज का उत्पादन कम होने के कारण मत्स्य बीज अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर देश में पाँचवें स्थान पर एवं मत्स्योत्पादन में छठे स्थान पर आ गया है।
- वर्ष 2000 में उपलब्ध मात्र 538 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में से 1.335 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में मछलीपालन किया जाता था। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 1.961 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मछलीपालन का कार्य किया जा रहा है।
- राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायवीय परिस्थितियाँ मछलीपालन के लिये अनुकूल होने के कारण परंपरागत मछुआ वर्ग के लोगों के साथ-साथ अन्य वर्गों के लोग भी मछलीपालन करने लगे हैं।

नोट :

- राज्य में मछलीपालन को कृषि का दर्जा देने तथा किसानों के समान ही मछलीपालकों को ऋण की सुविधा तथा विद्युत एवं जलकर छूट देने से राज्य में मछलीपालन को बढ़ावा मिला है। अब यह एक लाभकारी व्यवसाय बन गया है, जिसे लोग तेजी से अपनाने लगे हैं।
- राज्य में मछलीपालन के क्षेत्र में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए, इसके तीव्र विकास के लिये मछुआरों की भागीदारी सुनिश्चित करने, मत्स्य सहकारी समितियों के विकास, शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों तक पहुँचाने तथा नवीन तकनीकों के प्रशिक्षण, नवीन प्रजातियों के पालन व देशी मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीन मछलीपालन नीति, 2022 लागू की गई है। इससे राज्य में मत्स्यपालन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा एफजीआर पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 'किसान शिकायत निवारण पोर्टल' (एफजीआर) को छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। यह पोर्टल 21 जुलाई, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त को कृषि विभाग के अधिकारियों सहित कृषक प्रतिनिधियों, किसानों एवं पंचायतों के पदाधिकारी की ऑनलाइन भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें शॉर्ट कोड 14447 से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
- गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा देशभर के किसानों की खेती-किसानी संबंधी, विशेषकर फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निदान के लिये किसान शिकायत निवारण पोर्टल (एफजीआर) तैयार किया गया है।
- इस पोर्टल को फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है, जिसके परिणाम को देखते हुए बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा।
- कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ का चयन प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में राज्य की बेहतर परफॉर्मेंस और बीमा दावा राशि के भुगतान में देश का अग्रणी राज्य होने की वजह से किया गया।
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय छत्तीसगढ़ में किसानों के पंजीयन, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित राजीव गांधी न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आदि के लिये तैयार किये गए एकीकृत किसान पोर्टल के उल्लेखनीय परिणामों को देखते हुए एफजीआर के बीटा वर्जन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से करने जा रहा है।
- एफजीआर पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खेती-किसानी, विशेषकर फसल बीमा से संबंधित समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकेंगे। किसानों द्वारा टेलीफोन अथवा मोबाइल के माध्यम से बताई गई समस्याएँ एवं शिकायतें इस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज होंगी, जिसके निदान की सूचना उन्हें ऑनलाइन प्राप्त होगी।

छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों और प्रदेश की कला-संस्कृति व साहित्य को सँजोने हेतु एन.आर.आई. सेल का गठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न देशों में निवासरत् छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों को एकसूत्र में जोड़ने तथा प्रदेश की कला-संस्कृति एवं साहित्य को सँजोए रखने के लिये एन.आर.आई. सेल का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय मूल के कोरबा निवासी पल्लव शाह को एन.आर.आई. सेल का समन्वयक मनोनीत किया गया है। वे वर्तमान में बोस्टन (एम.ए.), यूएसए में निवासरत् हैं।

नोट :

- एन.आर.आई. सेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ी कला-संस्कृति एवं साहित्य को सँजोए रखने के साथ-साथ उनका व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अप्रवासी भारतीयों के साथ जीवंत संपर्क बनाए रखने एवं राज्य की प्रगति के लिये ऐसे अप्रवासी भारतीयों से सुझाव-सूचनाएँ प्राप्त करने तथा उनके क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के नगरपालिका परिषद कुम्हारी में साढ़े चार करोड़ रुपए की लागत से बने क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 42 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। इन कार्यों में 10 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य तथा 31 करोड़ रुपए के भूमि पूजन कार्य शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ने कुम्हारी के नागरिकों के प्रस्ताव पर स्टेडियम का नाम स्वर्गीय मिनीमाता के नाम पर रखने की घोषणा भी की।
- मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के खेल की बढ़िया अधोसंरचना से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और कुम्हारी में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी।

समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों सहित मार्कफेड एवं मंडी बोर्ड को जारी किये गए हैं।
- उड़द एवं मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर, 2022 से 16 दिसंबर, 2022 तक तथा अरहर का उपार्जन 13 मार्च, 2023 से 12 मई, 2023 तक की अवधि में किया जाएगा।
- इनका उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के माध्यम से किया जाएगा। किसानों से अरहर और उड़द 6,600 रुपए तथा मूंग की खरीदी 7,755 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।
- गोदाम एवं भंडारण की सुविधायुक्त 25 कृषि उपज मंडियों को अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी के लिये उपार्जन केंद्र के रूप में चिह्नांकित किया गया है।
- राज्य में भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, बसना, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगाँव, खैरागढ़ डोंगरगढ़, गंडई, कवर्धा, पंडरिया, मुंगेली, लोरमी, सक्ती, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, रामानुजगंज, जशपुर, कोंडागाँव, केशकाल, नारायणपुर, संबलपुर, पखांजूर कृषि मंडी में अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी।
- उपार्जन केंद्र पर आवश्यक भौतिक संसाधनों, उपकरणों एवं मानव संसाधन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा की जाएगी।
- 'यूनिफाईड फार्मर पोर्टल' पर कृषक का पंजीयन कर उपलब्ध डाटा नाफेड को दिया जाएगा। नाफेड द्वारा डाटा को ई-समृद्धि पोर्टल में उपार्जन हेतु इंटीग्रेड किया जाएगा एवं चयनित उपार्जन केंद्रों से उक्त कृषकों की टैगिंग की जाएगी। डाटा के आधार पर ही किसानों से खरीदी कर भुगतान किया जाएगा। किसानों की भूमि, बोई गई फसल का रकबा आदि का मैदानी सत्यापन एवं रेंडम सत्यापन किया जाएगा।

नोट :

- उपार्जन केंद्रों में कृषकों की सामान्य जानकारी हेतु एफएक्यू उत्पाद का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एफएक्यू मानक का अरहर, उड़द एवं मूंग का समर्थन मूल्य से कम पर उपार्जन केंद्र में विक्रय न हो। एफएक्यू गुणवत्ता की खरीदी की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी।
- रेंडम सैंपलिंग हेतु नाफेड के साथ राज्यस्तरीय संयुक्त टीम गठित की जाएगी, जो उपार्जन केंद्र के खरीदी कार्य की तैयारी से लेकर संग्रहण तक का निरीक्षण करेगी। किसान से क्रय की गई मात्रा की प्रिंटेड रसीद, जिसमें देय राशि का उल्लेख हो, उपार्जन केंद्र प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर कर किसान को दी जाएगी।
- गौरतलब है कि खरीफ सीज़न 2022 में राज्य में एक लाख 40 हज़ार हेक्टेयर में अरहर, 22 हज़ार हेक्टेयर में मूंग तथा एक लाख 75 हज़ार हेक्टेयर में उड़द की खेती का लक्ष्य है। कृषि विभाग द्वारा राज्य में 94,500 मीट्रिक टन अरहर, 12,100 मीट्रिक टन मूंग तथा 70,000 मीट्रिक टन उड़द का उत्पादन अनुमानित है।

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण एवं जलवायु जागरूकता व संरक्षण हेतु टास्क फोर्स का गठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर राज्य के सभी शासकीय व निजी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण एवं जलवायु पर जागरूकता एवं संरक्षण हेतु टास्क फोर्स के गठन के लिये राजभवन सचिवालय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में नवंबर 2021 में राष्ट्रपति भवन में संपन्न गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में राजभवन सचिवालय द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों को यह पत्र निर्गत किया गया है।
- गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के अनुसार वर्ष 2030 तक देश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने और देश के आर्थिक विकास के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को जोड़ने के लिये सभी विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- इस संबंध में समस्त विश्वविद्यालयों को जल्द टास्क फोर्स का गठन करने एवं टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यों का प्रतिवेदन प्रत्येक माह में समय-सीमा के अंदर राजभवन सचिवालय, रायपुर को प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया गया है।
- इसके अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन हेतु राजभवन सचिवालय द्वारा पत्र भेजा गया है।
- गौरतलब है कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालय परिसर को हरा-भरा एवं स्वच्छ रखने तथा विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ एफजीआर पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा के संबंध में किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई एवं निदान के लिये तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण (एफ.जी.आर.) पोर्टल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी.एस.सी. डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एफजीआर पोर्टल के बीटा वर्जन का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया।

नोट :

- शिकायतों के निदान में इस पोर्टल की उपयोगिता और मूल्यांकन के बाद यह देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस पोर्टल के शुरू होने से अब किसानों को फसल बीमा संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये किसी कार्यालय और अधिकारी का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी, न ही लिखित में आवेदन देना होगा।
- किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निदान तत्परता से किया जाएगा। किसान अपनी शिकायतों के निदान की जानकारी भी पोर्टल के ज़रिये प्राप्त कर सकेंगे।
- देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का इस पोर्टल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए किया गया है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य फसल बीमा के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है। वर्ष 2021-22 में 5 लाख 66 हज़ार किसानों को 1063 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया था।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स- 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को अंतिम (17वाँ) स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
- 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 17.66 अंकों के साथ दूसरे और हरियाणा 16.35 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ओडिशा 11.42 अंकों के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंकों के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नागालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (27.88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इको सिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
- इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किये गये थे।

हसदेव अरण्य में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने हेतु विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जनता कॉन्ग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने के अशासकीय संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा में विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 57 हज़ार मिलियन टन का कोयला भंडार है। 50 साल में भी 25 फीसदी ही खनन किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के लिये वर्तमान में स्वीकृत परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला खदान के लिये लगभग 2,22,921 वृक्ष एवं परसा कोयला खदान के लिये लगभग 99,107 वृक्षों की कटाई होनी है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1995 वर्ग किमी. क्षेत्र में लेमरु एलिफेंट रिज़र्व घोषित किया है। उससे जुड़े कोल ब्लॉक में रोक लगाने की मांग केंद्र से की गई है।
- गौरतलब है कि हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक एक्सटेंशन किया जा रहा है। राजस्थान की विद्युत कंपनी को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया है। कोल ब्लॉक की एनओसी लंबे समय तक अटकी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छत्तीसगढ़ आगमन के बाद छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एनओसी जारी की गई थी।
- वहीं राजस्थान की बिजली कंपनी के एमडी विगत दिनों छत्तीसगढ़ आये थे। उन्होंने मुख्य सचिव और कलेक्टरों से मिलकर खनन का कम शीघ्र शुरू कराने का आग्रह किया था। हसदेव अरण्य का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच चुका है। वहीं हसदेव के जंगलों को बचाने के लिये 'हसदेव बचाओ अभियान'भी चलाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं विधायकों के वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ के मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रस्ताव को पास किया।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा में वेतन-भत्ता संबंधित संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद अब विधायकों और मंत्रियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। वेतन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 81 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है।
- विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री का वेतन वृद्धि के बाद मौजूदा 35 लाख रुपए से 2.05 लाख रुपए प्रतिमाह होगा, जबकि मंत्रियों को मौजूदा 1.30 लाख रुपए से 1.90 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री का मूल वेतन 35,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है।
- छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 13 मंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 32 लाख रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.95 लाख रुपए होगा, जबकि उपाध्यक्ष का वेतन 1.28 लाख रुपए से बढ़कर 1.80 लाख रुपए होगा।
- नेता प्रतिपक्ष को 1.30 लाख रुपए की जगह 1.90 लाख रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। 15 संसदीय सचिवों को 1.21 लाख रुपए की जगह प्रति माह 1.75 लाख रुपए मिलेंगे। विधायक का वेतन अब 1.10 लाख रुपए से बढ़कर 1.60 लाख रुपए प्रतिमाह होगा।

पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये छत्तीसगढ़ को मिले 3 पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये तीन पुरस्कारों से नवाजा है।

प्रमुख बिंदु

- पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान पिछले तीन वर्षों 2019 से 2021 के बीच नसबंदी में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पंवार ने प्रदेश को इस उपलब्धि के लिये पुरस्कृत किया। परिवार नियोजन कार्यक्रम के उप संचालक डॉ. टी.के. टोंडर एवं कंसल्टेंट डॉ. रोशन गुप्ता ने छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

नोट :

- पुरुष नसबंदी के लिये प्रदेश को दो और श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक पुरुष नसबंदी के लिये डॉ. संजय नवल को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है।
- पुरुष नसबंदी के लिये दंपति मोटिवेशन (प्रेरक) की श्रेणी में रायपुर ज़िले के तिल्दा की मितानिन केवरा वर्मा को पुरस्कृत किया गया है।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम के उप संचालक डॉ. टी.के. टोंडर ने बताया की पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में 3212 पुरुषों की नसबंदी की गई है। इस दौरान वर्ष 2019-20 में 1695, वर्ष 2020-21 में 168 और वर्ष 2021-22 में 1349 पुरुषों ने नसबंदी कराई है।
- नसबंदी पखवाड़ा के दौरान ग्राम स्तर से लेकर ज़िला स्तर तक विशेष अभियान चलाकर लोगों में पुरुष नसबंदी के प्रति फैली भ्रांतियों व मिथकों को दूर किया जाता है। ग्राम स्तर पर 'मोर मितान मोर संगवारी'चौपाल का आयोजन कर पुरुषों को नसबंदी के लिये प्रेरित किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन, पशुचालित कल्टीवेटर और प्लांटर किया लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के पाटन विकासखंड के ग्राम करसा में छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार 'हरेली'के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन, पशुचालित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर की लॉन्चिंग की।

प्रमुख बिंदु

- एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेतों में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। अमूमन एक किसान को इसके लिये 1 एकड़ हेतु 3 घंटे का वक्त लगता है। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिये लेबर मिलने में भी परेशानी होती है। इसके माध्यम से किसानों की समय की बचत भी होगी और समूहों की आय भी बढ़ेगी।
- एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी, जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा भी होगी। इसमें किसान सॉइल टेस्टिंग आदि करा सकेंगे। इसमें खेती-किसानी के लिये संपूर्ण सुविधा होगी। इसमें जैविक खाद की उपलब्धता भी होगी।
- उल्लेखनीय है कि यह पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। 20 गाँव में एक मशीन के माध्यम से कार्य हो सकेगा। यह कार्य समूह करेगा। ड्रोन के संचालन के लिये समूह के युवाओं को ही प्रशिक्षित किया जाएगा। समूह के सदस्य इससे तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगे। इससे उन्हें खेती-किसानी के अतिरिक्त अन्य आजीविकामूलक गतिविधियों के लिये पर्याप्त समय मिल सकेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कृषि कार्य आसान बनाने वाले दो तरह के कृषि यंत्रों-पशुचलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर को भी लॉन्च किया।
- कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों को कृषि कार्य में लगने वाले समय में कमी आएगी, साथ ही लागत में भी कमी होगी। बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर के उपयोग से पशुओं पर भी बोझ कम पड़ेगा।
- द्वितीयक जुताई के लिये पशुचालित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर कृषकों की समस्या का निदान कर सकता है। इस कल्टीवेटर की सहायता से 1 हेक्टेयर खेत की 5-7 घंटे में एक बार द्वितीयक जुताई की जा सकती है। इससे जहाँ मवेशियों को कम बल लगाना पड़ेगा, वहीं कृषक भी सीट पर बैठकर आसानी से पूरे यंत्र को संचालित कर सकता है। इस पूरे यंत्र की लागत करीब 55-60 हज़ार रुपए है।
- पशुचालित बैटरी ऑपरेटेड प्लांटर की सहायता से कतारबद्ध बीज-से-बीज की दूरी बनाए रखते हुए बुआई की जा सकेगी। इस प्लांटर को कतार-से-कतार के बीच की दूरी फसल के अनुसार 20 से 50 सेमी. तक व्यवस्थित कर सकते हैं। प्लांटर की लागत लगभग 20-25 हज़ार रुपए है।

नोट :

गोमूत्र खरीद योजना

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के पाटन विकासखंड के ग्राम करसा में छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार 'हरेली'के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गोमूत्र खरीदकर 'गोमूत्र खरीद योजना'का विधिवत शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो पशुपालक ग्रामीणों से दो रुपए किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपए लीटर में गोमूत्र की खरीदी कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 'गोधन न्याय योजना'की शुरुआत 20 जुलाई, 2020 को हरेली पर्व के दिन से हुई थी। इसके तहत गोठनों में पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है।
- देशभर में गोबर की खरीदी के ज़रिये बड़े पैमाने पर जैविक खाद का निर्माण और उसके उपयोग की बेजोड़ सफलता ही गोमूत्र की खरीदी का आधार बनी है।
- गोमूत्र खरीदी का उद्देश्य गोठानों में इससे जैविक कीटनाशक, जीवामृत, ग्रोथ प्रमोटर का निर्माण करना है, ताकि राज्य के किसानों को कम कीमत पर जैविक कीटनाशक सहजता से उपलब्ध कराया जा सके। इसके पीछे मकसद यह भी है कि खाद्यान्न उत्पादन की विषाक्तता को कम करने के साथ ही खेती की लागत को भी कम किया जा सके।
- अब गोठानों में गोमूत्र की खरीदी कर महिला समूहों के माध्यम से इससे जैविक कीटनाशक तैयार किये जाएंगे, जिसे किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन जैविक कीटनाशकों की कीमत बाज़ार में मिलने वाले महँगे रासायनिक कीटनाशक पेस्टिसाइड की कीमत से काफी कम होगी।
- कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि गोमूत्र कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक का बेहतर और सस्ता विकल्प है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रासायनिक कीटनाशक से कई गुना अधिक होती है। खेतों में इसके छिड़काव से सभी प्रकार के कीटों के नियंत्रण में मदद मिलती है। पत्ती खाने वाले, फल छेदन एवं तना छेदक कीटों के प्रति गोमूत्र कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा प्रभावकारी है। इसका उपयोग कृषि-पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिये भी बेहतर है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 'सुराजी गाँव योजना'के 'गरवा' घटक के तहत राज्य के 8408 गाँव में गोठान निर्मित एवं संचालित हैं, जहाँ पशुओं की देखरेख चारा-पानी का नि:शुल्क प्रबंध है। इन गोठनों में 'गोधन न्याय योजना'के तहत विगत 2 वर्षों से गोबर की खरीदी की जा रही है, जिससे महिला समूह जैविक खाद एवं अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं।
- राज्य में बीते 2 सालों में 76 लाख क्विंटल से अधिक की गोबर खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर विक्रेता ग्रामीण पशुपालकों को 153 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। महिला समूहों ने क्रय गोबर से अब तक 22 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस का उत्पादन कर राज्य के किसानों को खेती में उपयोग के लिये उपलब्ध कराया है।
- गोठानों में गोबर से जैविक खाद के निर्माण के साथ-साथ महिलाएँ अन्य मूलक गतिविधियाँ भी संचालित कर रही हैं, जिनसे उन्हें बीते 2 सालों में 74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है।
- गोठानों में महिला समूह द्वारा जैविक खाद के साथ-साथ अब जैविक कीटनाशक तैयार किये जाने से राज्य में जैविक खेती को और बढ़ावा मिलेगा। इससे पशुपालक ग्रामीणों को अतिरिक्त आय तथा महिला समूहों को रोज़गार और आय का ज़रिया भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'हरेली'के अवसर पर अपने आवास परिसर से 'मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ'को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्याय रथ महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है।
- 'बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के' सूत्र वाक्य के साथ यह यात्रा शुरू हुई।
- मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। यह रथ सभी ज़िलों के गाँव-गाँव तक भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं को कानूनी प्रावधानों एवं उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा।
- प्रथम चरण में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले नौ ज़िलों- दुर्ग, रायपुर, राजनांदगाँव, बलौदाबाज़ार-भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर में जाएगा। इसके बाद प्रदेश के बाकी ज़िलों में न्याय रथ यात्रा शुरू होगी। इसकी शुरुआत दुर्ग ज़िले से होगी। इस अभियान के तहत महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता भी दी जाएगी।
- प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे, जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएँ आवेदन भी दे सकेंगी। प्राप्त आवेदनों का महिला आयोग द्वारा निराकरण किया जाएगा।
- रथ में बड़ी एलईडी स्क्रीन में छत्तीसगढ़ी और हिन्दी भाषा की विभिन्न कानूनों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में दिखाई जाएंगी।
- महतारी न्याय रथ का संचालन डीएमएफ राशि से किया जाएगा। इसके लिये प्रदेश सरकार ने डीएमएफ पॉलिसी में विशेष बदलाव किये हैं।
- राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि शिक्षित, अशिक्षित, गृहणी, नौकरी कर रही सभी महिलाओं को महिला आयोग के कार्यों और महिलाओं के लिये बनाए गए कानूनों, नियमों एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत हुई है।
- महतारी न्याय रथ के माध्यम से बताया जाएगा कि महिलाएँ अपनी समस्याओं के समाधान और नि:शुल्क तथा त्वरित न्याय पाने के लिये महिला आयोग में किस तरह आवेदन कर सकती हैं। इससे पहले भी महिला आयोग ने वाट्सएप नंबर 9098382225 जारी किया है, जिसके माध्यम से महिलाएँ आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं।
- डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना होगी। इससे महिलाएँ जागरूक होंगी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी से राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन, पशुचालित कल्टीवेटर और प्लांटर किया लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के पाटन विकासखंड के ग्राम करसा में छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार 'हरेली' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन, पशुचालित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर की लॉन्चिंग की।

प्रमुख बिंदु

- एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेतों में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। अमूमन एक किसान को इसके लिये 1 एकड़ हेतु 3 घंटे का वक्त लगता है। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिये लेबर मिलने में भी परेशानी होती है। इसके माध्यम से किसानों की समय की बचत भी होगी और समूहों की आय भी बढ़ेगी।
- एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी, जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा भी होगी। इसमें किसान सॉइल टेस्टिंग आदि करा सकेंगे। इसमें खेती-किसानी के लिये संपूर्ण सुविधा होगी। इसमें जैविक खाद की उपलब्धता भी होगी।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि यह पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। 20 गाँव में एक मशीन के माध्यम से कार्य हो सकेगा। यह कार्य समूह करेगा। ड्रोन के संचालन के लिये समूह के युवाओं को ही प्रशिक्षित किया जाएगा। समूह के सदस्य इससे तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगे। इससे उन्हें खेती-किसानी के अतिरिक्त अन्य आजीविकामूलक गतिविधियों के लिये पर्याप्त समय मिल सकेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कृषि कार्य आसान बनाने वाले दो तरह के कृषि यंत्रों-पशुचलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर को भी लॉन्च किया।
- कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों को कृषि कार्य में लगने वाले समय में कमी आएगी, साथ ही लागत में भी कमी होगी। बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर के उपयोग से पशुओं पर भी बोझ कम पड़ेगा।
- द्वितीयक जुताई के लिये पशुचालित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर कृषकों की समस्या का निदान कर सकता है। इस कल्टीवेटर की सहायता से 1 हेक्टेयर खेत की 5-7 घंटे में एक बार द्वितीयक जुताई की जा सकती है। इससे जहाँ मवेशियों को कम बल लगाना पड़ेगा, वहीं कृषक भी सीट पर बैठकर आसानी से पूरे यंत्र को संचालित कर सकता है। इस पूरे यंत्र की लागत करीब 55-60 हज़ार रुपए है।
- पशुचालित बैटरी ऑपरेटेड प्लांटर की सहायता से कतारबद्ध बीज-से-बीज की दूरी बनाए रखते हुए बुआई की जा सकेगी। इस प्लांटर को कतार-से-कतार के बीच की दूरी फसल के अनुसार 20 से 50 सेमी. तक व्यवस्थित कर सकते हैं। प्लांटर की लागत लगभग 20-25 हज़ार रुपए है।

गोमूत्र खरीद योजना

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के पाटन विकासखंड के ग्राम करसा में छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार 'हरेली'के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गोमूत्र खरीदकर 'गोमूत्र खरीद योजना'का विधिवत शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो पशुपालक ग्रामीणों से दो रुपए किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपए लीटर में गोमूत्र की खरीदी कर रहा है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 'गोधन न्याय योजना'की शुरुआत 20 जुलाई, 2020 को हरेली पर्व के दिन से हुई थी। इसके तहत गोठनों में पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है।
- देशभर में गोबर की खरीदी के ज़रिये बड़े पैमाने पर जैविक खाद का निर्माण और उसके उपयोग की बेजोड़ सफलता ही गोमूत्र की खरीदी का आधार बनी है।
- गोमूत्र खरीदी का उद्देश्य गोठानों में इससे जैविक कीटनाशक, जीवामृत, ग्रोथ प्रमोटर का निर्माण करना है, ताकि राज्य के किसानों को कम कीमत पर जैविक कीटनाशक सहजता से उपलब्ध कराया जा सके। इसके पीछे मकसद यह भी है कि खाद्यान्न उत्पादन की विषाक्तता को कम करने के साथ ही खेती की लागत को भी कम किया जा सके।
- अब गोठानों में गोमूत्र की खरीदी कर महिला समूहों के माध्यम से इससे जैविक कीटनाशक तैयार किये जाएंगे, जिसे किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन जैविक कीटनाशकों की कीमत बाज़ार में मिलने वाले महँगे रासायनिक कीटनाशक पेस्टिसाइड की कीमत से काफी कम होगी।
- कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि गोमूत्र कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक का बेहतर और सस्ता विकल्प है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रासायनिक कीटनाशक से कई गुना अधिक होती है। खेतों में इसके छिड़काव से सभी प्रकार के कीटों के नियंत्रण में मदद मिलती है। पत्ती खाने वाले, फल छेदन एवं तना छेदक कीटों के प्रति गोमूत्र कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा प्रभावकारी है। इसका उपयोग कृषि-पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिये भी बेहतर है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 'सुराजी गाँव योजना'के 'गरवा' घटक के तहत राज्य के 8408 गाँव में गोठान निर्मित एवं संचालित हैं, जहाँ पशुओं की देखरेख चारा-पानी का नि:शुल्क प्रबंध है। इन गोठनों में 'गोधन न्याय योजना'के तहत विगत 2 वर्षों से गोबर की खरीदी की जा रही है, जिससे महिला समूह जैविक खाद एवं अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं।

नोट :

- राज्य में बीते 2 सालों में 76 लाख क्विंटल से अधिक की गोबर खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर विक्रेता ग्रामीण पशुपालकों को 153 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। महिला समूहों ने क्रय गोबर से अब तक 22 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस का उत्पादन कर राज्य के किसानों को खेती में उपयोग के लिये उपलब्ध कराया है।
- गोठानों में गोबर से जैविक खाद के निर्माण के साथ-साथ महिलाएँ अन्य मूलक गतिविधियाँ भी संचालित कर रही हैं, जिनसे उन्हें बीते 2 सालों में 74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है।
- गोठानों में महिला समूह द्वारा जैविक खाद के साथ-साथ अब जैविक कीटनाशक तैयार किये जाने से राज्य में जैविक खेती को और बढ़ावा मिलेगा। इससे पशुपालक ग्रामीणों को अतिरिक्त आय तथा महिला समूहों को रोज़गार और आय का ज़रिया भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'हरेली' के अवसर पर अपने आवास परिसर से 'मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्याय रथ महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करेगा।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है।
- 'बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के' सूत्र वाक्य के साथ यह यात्रा शुरू हुई।
- मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। यह रथ सभी ज़िलों के गाँव-गाँव तक भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं को कानूनी प्रावधानों एवं उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा।
- प्रथम चरण में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले नौ ज़िलों- दुर्ग, रायपुर, राजनांदगाँव, बलौदाबाज़ार-भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर में जाएगा। इसके बाद प्रदेश के बाकी ज़िलों में न्याय रथ यात्रा शुरू होगी। इसकी शुरुआत दुर्ग ज़िले से होगी। इस अभियान के तहत महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता भी दी जाएगी।
- प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे, जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएँ आवेदन भी दे सकेंगी। प्राप्त आवेदनों का महिला आयोग द्वारा निराकरण किया जाएगा।
- रथ में बड़ी एलईडी स्क्रीन में छत्तीसगढ़ी और हिन्दी भाषा की विभिन्न कानूनों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में दिखाई जाएंगी।
- महतारी न्याय रथ का संचालन डीएमएफ राशि से किया जाएगा। इसके लिये प्रदेश सरकार ने डीएमएफ पॉलिसी में विशेष बदलाव किये हैं।
- राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि शिक्षित, अशिक्षित, गृहणी, नौकरी कर रही सभी महिलाओं को महिला आयोग के कार्यों और महिलाओं के लिये बनाए गए कानूनों, नियमों एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत हुई है।
- महतारी न्याय रथ के माध्यम से बताया जाएगा कि महिलाएँ अपनी समस्याओं के समाधान और नि:शुल्क तथा त्वरित न्याय पाने के लिये महिला आयोग में किस तरह आवेदन कर सकती हैं। इससे पहले भी महिला आयोग ने वाट्सएप नंबर 9098382225 जारी किया है, जिसके माध्यम से महिलाएँ आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं।
- डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना होगी। इससे महिलाएँ जागरूक होंगी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी से राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी।

नोट :